

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

शिमला पत्नी मुकेश मीणा नि. माना का वरडा बेई

बनाम

कल्याण पिता भैरु मीणा नि. बागा का झुपडा बेई, वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 602/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुई
14.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम माना का वरडा प. ह. बेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 210/3 रकबा 0.2185 हैक्टेयर स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने वाकत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम माना का वरडा प. ह. बेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 210/3 रकबा 0.2185 हैक्टेयर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14-06-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड-अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 602 / 2023


दिनांक :- 14.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 602/2023 अनवान शिमला पत्नी मुकेश मीणा नि. माना का बरडा वेई बनाम कल्याण पिता भैरु मीणा नि. बागा का झुपडा वेई, छागन पिता भैरु मीणा नि. बागा का झुपडा वेई, छीतर पिता सोमा मीणा नि. माना का बरडा वेई, तहसील जहाजपुर, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम माना का बरडा प. ह. वेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 210/3 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक शककरगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना रिपोर्ट 15 योग में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)